भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979
(1979 का 5वां) के अधीन
अधीनस्थ विधान
(10.01.2022 तक संशोधित)

नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981

1* सा.का.नि. 34(अ) दिनांक 28 जनवरी 1981 - केन्द्रीय सरकार, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5वां) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (1) इन नियमें का नाम नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएंः इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 (1979 का 5वां) अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से बोर्ड द्वारा धारा 9 के अधीन नियुक्त की गई कोई समिति अभिप्रेत है;

(ग) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "मुख्य नारियल विकास अधिकारी" से धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया मुख्य नारियल विकास अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) ऐसे अन्य शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय 2
बोर्ड और उसकी समितियाँ

3. सदस्यों के रिक्त स्थान भरे जाने की रीतिः- (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (च), (झ), (ञ) और (ट) में विनिर्दिष्ट हितों के प्रतिनिधि को नियुक्त करने के पूर्व, यदि वह ठीक समझे, ऐसा परामर्श कर सकेगी।

(2) यदि बोर्ड के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है या यह समझा जाता है कि उसने त्यागपत्र दे दिया है या पद से हटाया जाता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती हैः

1*भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, 1981, भाग II, धारा 3(i) क्र.सं.27 दिनांक 28.01.1981

परन्तु यदि रिक्त स्थान ऐसा है जिसे पदमुक्त होनेवाला सदस्य, धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अधीन लोकसभा की अपनी सदस्यता के आधार पर धारण किया हुआ था तो उस रिक्त स्थान में अगले व्यक्ति की नियुक्ति संसद के उस सदन द्वारा, जिसका पदमुक्त होनेवाला व्यक्ति सदस्य था, नए निर्वाचन के आधार पर की जाएगी।

4. सदस्यों की पदावधिः- इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय -

(i) सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ii) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त किया गया सदस्य उस दशा में बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा जब वह संसद के उस सदन का, जिससे वह इस प्रकार विनिर्वाचित हुआ था, सदस्य नहीं रह जाता है, या उस प्रवर्ग/हित का प्रतिनिधि नहीं रह जाता है जिसके लिए वह इस प्रकार नियुक्त किया गया था;

परन्तु सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन किसी आकस्मिक रिक्ति को भरे जाने के लिए नियुक्त व्यक्ति, तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, रिक्ति न होने की दशा में पद धारण करने का हकदार रहता।

5. त्यागपत्रः- (1) किसी सदस्य का पद उस तारीख से, जिस तारीख को उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होती है, तीस दिन के अवसान पर, इनमें जो भी पूर्वतर है, रिक्त होगा।

(2) किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करके उसकी रिपोर्ट, बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में करेगा।

6. बोर्ड से हटाया जानाः- केन्द्रीय सरकार, ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी जो -

(क) विकृतचित है और किसी सक्षम न्यायालय ने जिसे ऐसा घोषित किया है, या

(ख) अनुमोचित दिवालिया है, या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(घ) अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में हाज़िर रहने में असफल रहता है।

7. भारत से अनुपस्थितिः- यदि बोर्ड का कोई सदस्य भारत से बाहर जाता है तो जाने से पूर्व वह -

(क) बोर्ड के सचिव को भारत से अपने प्रस्थान और प्रत्याशित वापसी की तारीख प्रज्ञापित करेगा;

(ख) उस दशा में अपना त्यागपत्र विविदत करेगा जब उसकी भारत से अनुपस्थिति की आशायित अवधि छः मास से अधिक की है।

8. सदस्यता-नामावलीः- सचिव सदस्यों के नाम और उनके पतों का अभिलेख रखेगा।

9. पते में परिवर्तनः- सदस्य अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना सचिव को देगा और यदि वह पते में ऐसे परिवर्तन की सूचना देने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेखों में दर्ज उसका पता, सभी प्रयोजनों के लिए, उसका सही पता समझा जाएगा।

#10क. अध्यक्षः- केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति नारियल विकास से संबंधित मामलों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी;

#10ख. मुख्य कार्यकारी अधिकारीः- केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) नियुक्त किया जाएगा।;

(क) नियमित पद धारक जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;

(ख) वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रुपये) या समकक्ष में एक नियमित पद धारक और जो निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता होः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी या जीवन विज्ञान में डॉक्टरेट के साथ बागवानी विकास या अनुसंधान या उत्पादन या विस्तार में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्ति जिसमें नारियल विकास के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित है; या

(ii) बागवानी विकास में दस वर्ष के अनुभव सहित प्रबंधकीय अनुभव में कम से कम बीस वर्ष अनुभव के साथ स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें नारियल विकास के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पणः प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या जब तक उम्मीदवार साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो.";

11. उपाध्यक्षः- (1) बोर्ड हर वर्ष अपने सदस्यों में से, एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ऐसे निर्वाचन की तारीख से, या यदि निर्वाचन किसी विद्यमान उपाध्यक्ष की पदावधि के अवसान के पूर्व किया जाता है तो उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसा उपाध्यक्ष पद रिक्त करेगा, बारह मास की अवधि के लिए करेगा।

**(2) यदि उपाध्यक्ष के पद पर त्यागपत्र या उसकी सदस्यता समाप्त होने के कारण या अन्यथा रूप से कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, बोर्ड अपनी बैठक में अपने सदस्यों में से उपाध्यक्ष के पद पर किसी अन्य सदस्य का चयन करेगा जो बारह माह की पूर्ण अवधि के लिए या बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक इसमें जो पहले हो, पर बने रहेगा।

अध्याय 3
बोर्ड/बोर्ड के अधीन समिति के सदस्यों और बोर्ड द्वारा सहयुक्त व्यक्तियों के यात्रा और अन्य भत्ते

12. बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों और धारा 4(8) के अधीन बोर्ड से सहयुक्त व्यक्तियों या धारा 9(2) के अधीन उसकी समितियों के सदस्य के रूप में सहयोजित सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तेः-- (1) बोर्ड या उसकी समितियों का कोई सदस्य या धारा 4(8) के अधीन बोर्ड से सहयुक्त कोई व्यक्ति या धारा 9(2) के अधीन किसी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कोई व्यक्ति, जो सरकारी सेवक नहीं है, बोर्ड के या उसकी सम्यक्त : गठित समिति के किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड या संबद्ध समिति द्वारा उसे समनुदेशित किसी कर्तव्य के

#भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) - सं.17 दिनांक 17.01.2022 में प्रकाशित सा.का.नि 17(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।

**भारत के राजपत्र, भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) दिनांक 15.01.2011 में प्रकाशित का.आ.136 दिनांक 31.12.2010 के अनुसार संशोधित।

अनुपालन के लिए की गई किसी यात्रा की बाबत, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन, जो तत्समय प्रवृत्त है, प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवक को अनुज्ञेय उच्चतम दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगाः

परन्तु संसद के सदस्यों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का संदाय, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन, अधिनियम 1954 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(2) बोर्ड द्वारा उसकी किसी तदर्थ समिति या किसी अन्य समिति में सेवा करने के लिए या बोर्ड के किसी अन्य कारोबार में सम्मिलित होने के लिए विशेष रूप से नाम निर्दिष्ट किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के पदधारी द्वारा कोई यात्रा की जाने की दशा में, बोर्ड उसे अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्तों का संदाय उन दरों पर करेगा जो उसे, उस सरकार के, जिस में वह तत्समय नियोजित है, नियमों के अधीन अनुज्ञेय है।

(3) बोर्ड या उसकी समिति के किसी सदस्य या बोर्ड द्वारा सहयुक्त किसी अन्य व्यक्ति या उसकी समिति से सहयोजित किसी व्यक्ति को तब तक कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक वह यह प्रमाणित नहीं कर देता कि उसने उस यात्रा और विराम की बाबत, जिसके लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(4) यात्रा भत्ता, इन नियमों के अधीन हकदार किसी सदस्य को या किसी व्यक्ति को, उसके प्रायिक निवास स्थान से बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन के स्थान तक के लिए या उस स्थान तक के लिए जहाँ वह कारोबार में सम्मिलित होने के लिए जाता है और वहाँ से अपने निवास स्थान तक वापस आने के लिए संदेय होगाः

परन्तु यदि यात्रा, उसके प्रायिक निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से प्रारंभ होती है या वापसी यात्रा वहाँ पर समाप्त होती है तो यात्रा भत्ता, उस रकम तक, जो उसे तब संदेय होती जब यात्रा उसके प्रायिक निवास स्थान से प्रारंभ या वहाँ पर समाप्त होती या की गई वास्तविक यात्रा की बाबत संदेय रकम तक, इनमें जो भी कम है, परिसीमित रहेगीः

परन्तु यह और कि, अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में और केन्द्रीय सरकार के **(#)** पूर्वानुमोदन से, किसी सदस्य को उसके प्रायिक निवास स्थान से भिन्न स्थानों से भी यात्रा भत्ता अनुदत्त कर सकता है।

(5) **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड या उसकी किसी समिति के सदस्य के या बोर्ड से सहयुक्त किसी व्यक्ति या किसी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति के यात्रा और दैनिक भत्ते के प्रयोजन के लिए, नियंत्रक अधिकारी होगा।

13. सवारी भत्ताः- बोर्ड या बोर्ड की किन्हीं समितियों के अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिए या बोर्ड के किसी अन्य कारोबार में सम्मिलित होने के लिए उन सदस्यों या व्यक्तियों को, जो यात्रा या दैनिक भत्ते लेते हैं, कोई सवारी भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगाः

परन्तु ऐसे किसी सदस्य या व्यक्ति को, जिसका निवास उस स्थान पर है जहाँ बोर्ड या किसी समिति का अधिवेशन होता है या जहाँ बोर्ड के किसी अन्य कारबार का संव्यवहार किया जाता है, उसके द्वारा सवारी पर उपगत वास्तविक व्यय, अधिक से अधिक दस रुपए प्रतिदिन के अधीन रहते हुए, संदत्त किया जा सकता है।

14. फीस का संदायः- बोर्ड से सहयुक्त किसी व्यक्ति को या बोर्ड की किसी समिति में सदस्य के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को; बोर्ड के उद्देश्यों के अग्रसर करने में या अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुपालन में, यदा कदा होनेवाले या आन्तरायिक प्रकृति के किसी विशेष कार्य के लिए फीस के रूप में **(#)** 10,000 रुपए तक का संदाय किया जा सकता हैः

#भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (i) - सं.17 दिनांक 17.01.2022 में प्रकाशित सा.का.नि 17(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।

परन्तु फीस की अनुज्ञेयता और उसकी मात्रा, प्रत्येक मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों और आदेशों के अनुसार विनिश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और कि, एक व्यक्ति को एक वर्ष में **(#)** 10,000 रुपए से ऊपर फीस, केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ही, मंजूर की जा सकती है।

15. भारत से बाहर की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता और देनिक भत्ते आदि:- बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य को या बोर्ड से सहयुक्त किसी व्यक्ति को या किसी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को, भारत से बाहर की गई किसी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि बोर्ड या किसी समिति का कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार की **(#)** पूर्व सहमति से, बोर्ड के हित में भारत से बाहर यात्रा करता है तो वह, ऐसी दरों पर, यात्रा और अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा जिन पर केन्द्रीय सरकार भारत से बाहर भेजे जानेवाले किसी प्रतिनिधि मंडल के अशासकीय सदस्य को समय-समय पर मंजूर कर सकती है।

अध्याय 4
बोर्ड और उसका स्थापन

16. बोर्ड का स्थापन:- (1) बोर्ड, निधि की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए या तो उस प्रयोजनार्थ एक विनिर्दिष्ट बजट उपबन्ध द्वारा या किसी समुचित शीर्षक के अधीन बचत द्वारा या विधिमान्य पुनर्विनियोजन द्वारा धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन तथा उस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्टाफ विनियम के अनुसार यथा उपबन्धित पद मंजूर कर सकता है किन्तु यह तब जब उसकी राय में ऐसे पदों का सृजन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण अनुपालन के लिए आवश्यक समझा जाता है:

(#) परन्तु केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56,100- 1,77,500 रुपए) के स्तर से अधिक वेतन स्तर वाला कोई पद सृजित नहीं किया जाएग और उसमें नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।";

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,

(#) मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह "ग" पदों पर नियुक्ति कर सकते है;

17. पदों का उत्सादन:- बोर्ड ऐसा कोई भी पद, जिसे वह सृजन करने के लिए सक्षम है उत्सादित कर सकता है।

18. (#) सीधी भर्ती द्वारा पदों का भरा जाना:- वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (रु.44,990-1,42,400) तक की सभी रिक्तियों या तकनीकी पद के रूप में वर्गीकृत अन्य पद, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, विज्ञापित किए जाएंगे और अन्य पदों की सभी रिक्तियाँ, सम्बद्ध केन्द्रीय सरकार के अधीन रिक्तियों की बाबत तत्समय प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार स्थानीय रोज़गार कार्यालय और अन्य अधिकरणों को अधिसूचित की जाएगी और नियुक्तियाँ यथास्थिति, विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करने वाले या रोज़गार कार्यालय द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों में से, की जाएंगी।

19. प्रोन्नति द्वारा पदों का भरा जाना:- **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियम 16 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के पदों की बाबत प्रोन्नति द्वारा रिक्तियाँ भरते समय, ऐसे पदों पर प्रोन्नति के लिए पात्र सभी अभ्यर्थियों के दावों पर विचार करेगा।

20. वेतन, छुट्टी, भत्ते आदि:- बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों की बाबत वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे, सेवा की अन्य शर्तें और अन्य सुविधाएं और रियायतें जैसे वेतन अग्रिम, वाहन क्रय

#भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) - सं.17 दिनांक 17.01.2022 में प्रकाशित सा.का.नि 17(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।

करने के लिए, भवन के सन्निर्माण के लिए और अन्य ऐसे ही कार्यों के लिए अग्रिम, तब तक केन्द्रीय सरकार के उन स्थानों पर तैनात तत्समान श्रेणियों या स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्समय लागू ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे जब तक कि बोर्ड पृथक विनियम नहीं बना लेता।

21. तैनाती और स्थानांतरणः- बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती और स्थानान्तरण, **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्टाफ विनियम के अनुसार करेगा परन्तु अध्यक्ष, अपनी यह शक्ति बोर्ड के अन्य अधिकारियों को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

22.व्यक्तियों को विदेश भेजनाः- बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की **(#)** पूर्व मंजूरी के बिना अपने किसी अधिकारी या अपने किसी सदस्य को विदेश नहीं भेजेगा।

अध्याय 5

(#) बोर्ड की शक्तियाँ, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव

23. व्यय उपगत करने की शक्तिः- (1) बोर्ड, अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्व और व्यय के संबन्ध में विरचित नियमों और जारी किए गए आदेशों के, जो तत्समय प्रवृत्त हों, अधीन रहते हुए, बजट में उपबंधित पदों पर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई रकम के भीतर ऐसा व्यय उपगत कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(2) बोर्ड उपशीर्षों और व्यय शीर्षों के बीच पुनर्विनियोजन कर सकता है।

(3) बोर्ड किसी मद पर, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, भारत के बाहर कोई व्यय उपगत नहीं कर सकता है।

24. संविदाएँः- बोर्ड अधिनियम के अधीन उसे न्यस्त कृत्यों के निर्वहन के लिए कोई भी संविदा कर सकता है:-

परन्तु -

(क) ऐसी प्रत्येक संविदा के लिए, जिसका विस्तार तीन वर्ष की अवधि से अधिक है या जिसमें एक लाख रुपए से अधिक का व्यय अन्तर्विलित है; और

(ख) फर्मों या विदेशी सरकारों से तकनीकी सहयोग या उनकी परामर्श-सेवा के लिए किए गए प्रत्येक करार या संविदा के लिए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी।

(2) संविदाएँ तब तक बोर्ड पर आबद्धकारी नहीं होंगी जब तक कि उन्हें **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निष्पादित नहीं करता है।

(3) अध्यक्ष या बोर्ड का कोई अधिकारी या उसका कोई सदस्य बोर्ड द्वारा निष्पादित किसी हस्तान्तरण पत्र या संविदा के अधीन व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा और ऐसे हस्तान्तरण पत्रों या संविदाओं के अधीन उत्पन्न होनेवाले किसी भी दायित्व को बोर्ड के व्ययाधीन धन में से चुकाया जाएगा।

25. शक्तियों का प्रत्यायोजनः- (1) बोर्ड को, किसी समिति को ऐसी शक्तियाँ जो वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करने की शक्ति है।

(2) बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक समिति या अधिनियम के अधीन उसके द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अनुदेशों, निदेशों या परिसीमाओं के, यदि कोई हैं, जो बोर्ड के संकल्प द्वारा परिनिश्चित की जाएं, अधीन रहते हुए करेगी और प्रत्येक समिति के सभी कार्य बोर्ड के नियंत्रणाधीन होंगे और बोर्ड ऐसे किसी भी कार्य को, रद्द, निलम्बित या उपान्तरित जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है।

#भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (i) - सं.17 दिनांक 17.01.2022 में प्रकाशित सा.का.नि 17(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।

26. शक्तियों के प्रत्यायोजन पर निबन्धनः- बोर्ड निम्नलिखित में से कोई भी शक्ति, किसी समिति को प्रत्यायोजित, नहीं करेगा -

(क) किसी एकल मद की बाबत **(#)** रु.5,00,000 से अधिक का अनावर्ती व्यय और ऐसा आवर्ति व्यय जिसमें किसी एकल मद पर एक वर्ष के भीतर **(#)** रु.5,00,000 से अधिक की लागत अन्तर्विलित है, मंजूर करने की शक्ति;

(ख) बोर्ड की ओर से बोर्ड का बजट प्राक्कलन अंगीकार करने की शक्ति;

(ग) **(#)** प्राक्कलित बचत को पुनः उपयुक्त करने की शक्ति को किसी एक वस्तु के मामले में 10 प्रतिशत से अधिक माना जाएगा; तथा";

(घ) धारा 7 के अधीन पदों के सृजन की शक्ति।

27. साधारण वित्तीय संव्यवहारः- इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, केन्द्रीय सरकार के तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय खजाना नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के उपबन्ध और **(#)** साधारण वित्तीय नियम, 2017, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन जो बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से उनमें करें, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे।

28. (#) अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्यः-

(i) अध्यक्ष बोर्ड का गैर-कार्यकारी प्रमुख होगा;

(ii) अध्यक्ष के पास बैठक के दैरान बोर्ड के सदस्यों को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी देने की शक्ति होगी;

(iii) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और वह ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपी जाएं।

28क. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियांः-

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी के रूप में, बोर्ड के समुचित कार्यकरण, बोर्ड की नीति को लागू करने और अधिनियम में प्रदान किए गए कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उपनियम (1) के अधीन कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में,-

(क) बोर्ड राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य अभिकरण संस्थानों और प्राधिकरणों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कयर बोर्ड, नारियल उगाने वाले राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों, केरल राज्य नारियल विकास निगम और नारियल उद्योग से संबंधित अन्य संस्थानों और संगठनों के साथ निकट संपर्क में काम करता है और प्रयासों के दोहराव से बचता है।;

(ख) छोटे किसानों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय किए जाते हैं जिससे वे नारियल उद्योग के विकास और विकास में भागीदार और लाभार्थी बन सकें।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास शक्ति होगी,-

(i) बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए और ऐसी शर्तों के अध्यधीन इस शक्ति को बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है जो वह ठीक समझे।

(ii) मुख्य नारियल विकास अधिकारी और सचिव सहित बोर्ड के सभी विभागों और अधिकारियों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।

(iii) इन नियमों के अधिनियम के अधीन दस्तावेजों और अभिलेखों की मांग करना और निरीक्षण करना

#भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (i) - सं.17 दिनांक 17.01.2022 में प्रकाशित सा.का.नि 17(अ) दिनांक

या निरीक्षण करने के कारण, खातों और भंडारण के स्थानों या व्यवसाय के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, या बोर्ड के किसी भी कार्य को ठीक से करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

(iv) बोर्ड के कार्यालय के रखरखाव और कामकाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की आकस्मिकताओं, आपूर्ति और सेवाओं और खरीद के लिए नियम 26 के उपबंधों के अध्यधीन व्यय को मंजूरी देना, और

(v) अधिनियम की धारा 10 के अधीन किए गए उपबंधो के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप उपाय करना।

(vi) बोर्ड या उसकी किसी समिति से बोर्ड या समिति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के अनुसरण में कार्रवाई को स्थगित करने की अपेक्षा करना, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निर्णय पर केन्द्रीय सरकार को एक संदर्भ लंबित है।

(vii) बोर्ड के कार्यालय के कामकाज के लिए अपेक्षित आकस्मिकताओं, आपूर्ति और सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए व्यय की मंजूरी के लिए;

(viii) अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी धन के लिए बोर्ड की ओर से रसीदें जारी करना;

(ix) सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामलों को बोर्ड को यथाशीघ्र बैठक के लिए प्रस्तुत करना;

(x) बोर्ड के विनिश्चय को क्रियान्वित करने के पद्धति के बारे में निर्देश जारी करना;

28ख. प्रत्यायोजित करने की शक्तिः- मुख्य कार्यकारी अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, इन नियम के अध्यधीन बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को अपनी शक्ति प्रदत्त कर सकता है।

28ग. विनिश्चय लेने की शक्तिः- जहां किसी मामले को बोर्ड या उसकी समिति द्वारा निपटाया जाना है और उस मामले के संबंध में विनिश्चय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि बोर्ड या समिति की बैठक, जैसा भी मामला हो, आयोजित नहीं किया जा सकता है या बोर्ड या समिति के सदस्यों के बीच सुसंगत कागजात के संचलन के पूरा होने तक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं आवश्यक विनिश्चय ले सकता है:

परन्तु, वह बोर्ड या समिति द्वारा अनुसमर्थन के लिए ऐसा विनिश्चय, जैसा भी मामला हो, अपनी अगली बैठक में प्रस्तुत करेगाः

परन्तु, यह और कि यदि बोर्ड या समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय को उपांतरित या निष्प्रभावित करती है, तो ऐसा उपांतरण या निष्प्रभावन करने से पहले की गई किसी भी कार्रवाई की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

28घ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी को स्वयं या उसकी ओर से अधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने या किसी रजिस्ट्री संपदा या अनुज्ञप्ति प्राप्त इलाज प्रतिष्ठान या किसी ऐसे स्थान का निरीक्षण करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त करने की शक्ति होगी जहां नारियल का भंडारण किया जाता है या बिक्री के लिए उजागर किया जाता है और किसी स्थान सम्पदा या प्रतिष्ठान या स्थान की पुस्तकों का परीक्षण करना -

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने आधिकारिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में कार्य की विशेष मद पर मेधावी कार्य के लिए मानदेय स्वीकृत करने की शक्ति होगी।

(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के कार्यों को करने के उद्येश्य से बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य सौंप सकता है।

28ङ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्तव्यः- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के कार्यकरण पर मसौदा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद इसे केन्द्रीय सरकार को उस तिथि के अंदर, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गयी है, प्रस्तुत करने के लिए उतरदायी होगा;

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बार्ड की सभी बैठकों में भाग लेगा और बोर्ड के निर्णयों को लागू करने में अध्यक्ष की सहायता करेगा;

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड की बैठक की कार्यवाही और उन बैठकों के निर्णयों का उचित रिकार्ड रखेगा; तथा

(4) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो भी हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

28च. अन्य शक्तियाँ:- नियम 28, 28क, 28ख, 28ग, 28घ और 28ड़ में निर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अधिनियम के उपबंध केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें सौंपे गए नियमों के अनुसार दी जा सकती हैं:

परन्तु जहां किसी मामले को बोर्ड या एक समिति द्वारा निपटाया जाना है और विनिश्चय बोर्ड की बैठक तक या उपयुक्त समितियों, जैसा भी मामला हो, या कागजात के प्रचालन के पूरा होने तक इंतजार नहीं कर सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं विनिश्चय कर सकता है और इस प्रकार लिए गए विनिश्चय को बोर्ड या समिति के समक्ष, जैसा भी मामला हो, कर सकता है।

29. उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्यः- उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बोर्ड या उसकी समितियों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे।

30. मुख्य नारियल विकास अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्यः- मुख्य नारियल विकास अधिकारी, **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन, बोर्ड के तकनीकी पक्ष के प्रधान के रूप में कृत्य करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसे प्रत्यायोजित करे।

31. सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्यः- (1) सचिव बोर्ड या उसकी समितियों द्वारा किए गए विनिश्चयों के क्रियान्वयन के लिए और अधिनियम या इन नियमों द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों के अधीन रहते हुए, जो **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसे प्रत्यायोजित करे, सचिव -

(क) सभी महत्वपूर्ण कागज़ात और मामले बोर्ड के समक्ष यथासाध्य शीघ्र प्रस्तुत कराएगा;

(ख) बोर्ड के विनिश्चयों के कार्यान्वयन की रीति के संबंध में निदेश जारी करेगा;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी रकमों के लिए बोर्ड की ओर से रसीद अनुदत्त करेगा;

(घ) बोर्ड की प्राप्तियों और व्यय का एक लेखा और अधिनियम या इन नियमों के अधीन बोर्ड के लिए विहित विभिन्न रजिस्टर भी रखेगा; या रखाएगा;

(ङ) बोर्ड के कामकाज पर एक वार्षिक प्रारूप रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष, उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में केन्द्रीय सरकार को, उस सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट तारीखों के अनुसार संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के लिए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; और

(च) सभी प्रशासनिक मामलों और ऐसे अन्य कृत्यों के निर्वहन में जिनके बारे में **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेश दे, **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता करेगा।

#भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (i) - सं.17 दिनांक 17.01.2022 में प्रकाशित सा.का.नि 17(अ) दिनांक

अध्याय 6
बोर्ड का वित्त, बजट और लेखा

32. बजट प्राक्कलनः- (1) बोर्ड, प्रति वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए प्रतिरीक्षित प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को, उस सरकार द्वारा नियत की गई तारीख को या उससे पूर्व, मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा। मंजूर होने के पश्चात पुनरीक्षित बजट मूल बजट को अधिक्रान्त कर देगा और वह वर्ष के लिए मंजूर किया गया बजट समझा जाएगा।

(2) कोई भी व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार बजट मंजूर नहीं कर देती और व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी अभिप्राप्त नहीं हो जाती।

(3) बजट ऐसे अनुदेशों के अनुसार, जो समय-समय पर जारी किए जाए, और ऐसे प्रारूप में जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, तैयार किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित का कथन किया जाएगा।

(i) प्राक्कलित आदि अतिशेष;

(ii) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राक्कलित प्राप्तियाँ; और

(iii) निम्नलिखित शीर्षों और उपशीर्षों के या ऐसे अन्य शीर्षों और उपशीर्षों के, जैसा कि केन्द्रीय सरकार निदेश दे, अधीन वर्गीकृत प्राक्कलित व्यय, अर्थात्-

शीर्षः

(क) प्रशासन;

(ख) नारियल उत्पादन का विकास, जिसके अन्तर्गत नारियल उगानेवालों के बीच सहकारिता के प्रयासों का उन्नयन और खेती के समुन्नत तरीकों के लिए सहायता भी है;

(ग) नारियल और उसके उत्पादों के लिए विपणन, जिसके अन्तर्गत श्रेणीकरण भी है, सुविधाओं का समुन्नयन;

(घ) नारियल और उसके उत्पादों पर अनुसंधान;

(ङ) विस्तारण क्रियाकलाप, जिसके अन्तर्गत प्रचार और प्रसार भी है;

(च) सांख्यिकी;

(छ) संकर्म; और

(ज) प्रकीर्ण।

उपशीर्षः

(क) वेतन;

(ख) मज़दूरी;

(ग) यात्रा व्यय;

(घ) कार्यालय व्यय;

(ङ) मशीनरी और उपस्कर;

(च) सामग्री और प्रदाय;

(छ) किराया, दर और कर;

(ज) प्रकाशन; और

(झ) अन्य प्रभार।

(iv) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाकलापों का कार्यक्रम।

(4) व्यय के अनुपूरक प्राक्कलन, यदि कोई है, केन्द्रीय सरकार को उसकी मंजूरी के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीखों को, जैसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त निदेश दें प्रस्तुत किए जाएंगे।

33. बोर्ड का लेखाः- (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा रखेगा और अभिलेख इस प्रकार रखेगा कि प्रतिवर्ष प्राप्ति और संदाय लेखा, आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र तैयार किए जा सकें। वे लेखे बोर्ड अनुमोदित करेगा

और संपरीक्षक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) ऊपर मद (1) में उल्लिखित रूप में बोर्ड के में, प्रतिवर्ष, वर्ष की समाप्ति के पश्चात् और किसी भी दशा में, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के लिए, यथासंभव शीघ्र, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को, इसके द्वारा विनिश्चित प्रारूप में एक रिपोर्ट अधिक से अधिक 30 जून तक प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण उल्लेख किया जाएगा।

34. बोर्ड की निधियों का बैंक में निक्षेप और ऐसी निधियों का विनिधानः- (1) खुदरा नकदी और अधिशेष धन को छोडकर बोर्ड के चालू व्यय के लिए अपेक्षित धन, भारतीय स्टेट बैंक या अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते में रखा जाएगा और अपेक्षानुसार उसमें से लेनदेन किया जाएगा तथा व्यय, उसकी मंजूरी के पश्चात् ही, इस खाते से धन निकाल कर उपगत किया जाएगा।

(2) बोर्ड की पेंशन निधि या भविष्य निधि की राशि जो चालू व्यय के लिए अपेक्षित नहीं है, अनुमत विस्तार तक न्यास प्रतिभूओं या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्रों में अथवा भारतीय स्टेट बैंक में या उसकी किन्हीं समनुषंगियों में या यदि केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे तो, किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित की जा सकेगी।

(3) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संदाय, नकदी में या बोर्ड के चालू खाते पर लिखी गई चैक द्वारा किया जाएगा। वार्षिक लेखे तथा उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट, अधिनियम की धारा 15(4) के अधीन उपबंधित रूप

(4) बोर्ड की निधियों की बाबत ऐसी चैकों और उनके निक्षेप या विनिधान या प्रत्याहरण के या किसी अन्य रीति से उनके व्ययन के लिए सभी आदेशों पर हस्ताक्षर सचिव करेगा और **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी या **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सम्यकः प्राधिकृत बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

35. रिपोर्ट और विवरणी - (1) **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी या **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को निम्नलिखित से, नारियल या नारियल के किसी अन्य उत्पाद की बाबत कोई भी जानकारी या सांख्यिकी मंगाने की शक्ति होंगीः

(i) नारियल उगाने वालों से,

(ii) नारियल या खोपरे के, जिसके अन्तर्गत खोपरा पेषण **(#)** सेक्टर भी है, व्यवहारियों से,

(iii) नारियल उत्पाद के विनिर्माताओं से, और

(iv) नारियल **(#)** सेक्टर या नारियल उत्पादों के व्यवहार में लगे हुए या किसी प्रकार उससे संबद्ध किसी व्यक्ति या फर्म या कम्पनी या किसी अन्य संस्था से।

(2) बोर्ड अपने क्रियाकलापों का एक कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विकास-कार्यक्रम भी है, अग्रिम रूप में प्रस्तुत करेगा; यह कार्यक्रम हर दशा में चालू वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाए।

(सं.एफ.12(16)/78-सी.ए.-I)
आर.सी. सूद, अपर सचिव

#भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (i) - सं.17 दिनांक 17.01.2022 में प्रकाशित सा.का.नि 17(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।